विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश

.....

1. सामान्य

1.1 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ वर्ष 1999–2000 में किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1999–2000 में प्रति विधायक क्षेत्र 15 लाख रूपए की धनराशि प्रावधित किए जाने का प्रावधान था जिसे वर्ष 2000–01 में 20 लाख रूपए किया गया । वर्ष 2001–02 में इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था लेकिन वर्ष 2003 से इसे पुनः आरम्भ किया गया । वर्ष 2003–04 से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रति विधायक 24 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है । इस योजना के संचालन व क्रियान्वयन से निम्न तीन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति अपेक्षित है :–

क) सभी माननीय विधायकों को स्थानीय विकास के लिए समान धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी ।

ख) सभी माननीय विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में मध्यम अवधि की स्थानीय विकास योजनाएं निर्धारित कर सकेंगे तथा समान विकास भी सुनिश्चित कर सकेंगे ।

ग) क्योंकि प्रक्रिया व स्कीमों का निर्धारण माननीय विधायक करेंगे, वे इनके कार्यान्वयन व अनुश्रवण में भी अधिक रूचि लेंगे जिसके परिणाम स्वरूप सीमित वित्तीय साधनों का सामयिक व प्रभावी उपयोग हो पाएगा तथा लागत वृद्धि व धनराशि संचित होकर बैंक–खातों इत्यादि में नहीं पड़ी रहेगी ।

1.2. यह योजना माननीय विधायकों को स्थानीय विकास के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने की दृष्टि से भी आरम्भ की गई है । यह योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यों के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति से भी प्रेरित है । वर्ष 1999–2000 से इस योजना के चालू किए जाने के पश्चात् स्थानीय जिला नियोजन कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया है ।

2. संभावित विकास योजनाएँ जो विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा सकती है, अथवा जो अपवाद हैं :

2.1 इस योजना के अधीन केवल ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने चाहिएं जोकि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पतियों के निर्माण में सहायक हों । इनमें निम्न प्रकार के विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए जा सकते हैं:–

1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण ।
2. आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण ।
3. हैंडपम्पों की स्थापना ।

4. ऐसे गाँवों के लिए मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़क से न जुड़े हुए हों ।
5. गाँवों में सामान्य सामुदायिक भावनों का निर्माण जो कि गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें ।
6. स्वास्थ्य संस्थाओं में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासाऊंड मशीने, ई.सी.जी. मशीने इत्यादि ।
7. स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए एम्बूलैंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए सम्बन्धित संस्था / विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।
8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी-नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए Foot Bridges का निर्माण ।
9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के concrete based or black topped तथा जिसमें दो पहिया वाहन चल सकें ।
10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनाएं जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो ।
11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें ।
12. पाठशालाओं में शौचालयों का निर्माण कार्य । (मद् 9 से 12 अनुबन्ध-1)
13. Electrification of Left Out Houses in Remote/Rural Areas (LT Extensions)

2.2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगें और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी ।

2.3. इस योजना के अधीन कोई भी ऐसी स्कीम अथवा परियोजना स्वीकृत नहीं की जाएगी जो निजि संस्थाओं को लाभान्वित करती हो और न ही इसके माध्यम से कोई ऐसी स्कीम स्वीकृत की जाएगी जो कि रख-रखाव से सम्बन्धित हो । किसी भी धार्मिक संस्था के लिए इस योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की सहायता दी जानी मान्य नहीं होगी ।

2.4. इस स्कीम के अधीन जन-साधारण को सामुदायिक आधार पर लाभान्वित किए जाने वाली परिसम्पतियों के लिए ही स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी ।

3. योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्थाः-

3.1. इस योजना के अधीन माननीय विधायक अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित उपरोक्त सूची में से किसी भी स्कीम अथवा कार्य की संस्तुतियां सम्बन्धित उपायुक्त को प्रेषित करेंगे तथा इन संस्तुतियों के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर जिला योजना कक्ष सुनिश्चित करेगा कि स्कीम अथवा कार्य की स्वीकृति जारी हो जाए । जहां भी आवश्यक होगा यह जिला योजना कक्ष का दायित्व रहेगा कि वे संस्तुतियों पर अनुमान बनवाने तथा उन पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रकिया सुनिश्चित करें । सामान्यतः सभी स्कीमों का कार्यन्वयन या तो उपलब्ध सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा या फिर ग्राम पंचायतों / नगर पंचायतों इत्यादि के माध्यम से किया जाएगा ।

3.2. माननीय विधायक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कीम अथवा कार्य के लिए पूरी की पूरी धनराशि एक ही बार में स्वीकृत की जाए । इस योजना के अधीन स्कीम अथवा कार्य स्वीकृत होने तथा उस पर पूरा वित्तीय प्रावधान किए जाने के पश्चात किसी प्रकार के दायित्व नहीं रहने चाहिएं और न ही भविष्य में कोई वित्तीय प्रावधान किए जाने की व्यवस्था होगी ।

3.3. सभी स्कीमों के लिए पूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां एवं प्रशासनिक अनुमोदन देने का अधिकार सम्बन्धित उपायुक्तों को होगा । इन स्कीमों पर कोई विभागीय प्रभार नहीं लगाए जाएंगे तथा सभी स्वीकृत स्कीमों को स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पूरा करना होगा ।

3.4. जिला नियोजन कक्ष सभी स्वीकृत स्कीमों का विवरण रखेगा तथा सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से कार्यान्वयन का सामयिक अनुश्रवण भी करेगा ताकि स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में बिना किसी लागत वृद्धि के सम्पूर्ण हों ।

3.5. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन प्रावधित धनराशि का निर्गम प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा ।

3.6. जिन स्कीमों के लिए किन्हीं अन्य चालू वार्षिक कार्यक्रमों में वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हों, उन स्कीमों के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

3.7. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन धनराशि का प्रावधान मांग संख्या–4, प्रमुख शीर्ष–3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं– 101– योजना आयोग / योजना बोर्ड (15) विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (योजना) के अधीन किया जाएगा तथा व्यय भी इसी विवरण के अनुसार नियमित किए जाएगा ।

3.8. जहां पर इस योजना के अधीन स्वीकृत स्कीमों अथवा कार्यों का अनुश्रवण व सामयिक समीक्षा माननीय विधायकों द्वारा की जाएगी वहीं पर सम्बन्धित उपायुक्तों से प्रत्येक तिमाही के अन्त में स्वीकृत की गई स्कीमों, स्वीकृत राशियों, स्कीमवार व्यय विवरण तथा कार्यान्वयन की भौतिक स्थिति का विवरण योजना विभाग को प्रेषित किया जाएगा तथा इसके संकलन का दायित्व जिला योजना कक्ष का होगा ।

3.9. किसी भी विवाद की स्थिति में अथवा किसी विशेष मुद्दे पर स्पष्टीकरण के बारे में योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।